जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दिनांक : 19/08/2010

/ / प्रेस विज्ञप्ति / /

आज दिनांक 19.08.2010 के सम्पन्न हुई बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. माननीय कार्यपरिषद् सदस्य श्री अशोक शर्मा के प्रस्ताव पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक के मध्य समन्वय समिति की 62वी बैठक दिनांक 29.05.2000 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में रोटेशन प्रणाली तत्काल प्रभाव से लागू की जाये।

2. राजभवन से प्राप्त सूचना अनुसार जीवाजी विश्वविद्यालय में 31 अगस्त 2010 को दीक्षांत समारोह आयोजित करने की सूचना ग्रहण की गयी। इस संदर्भ में अब तक की तैयारियों बावत् प्रगति प्रतिवेदन से भी कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया जिस पर कार्यपरिषद् ने संतोष व्यक्त किया। विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान करने संबंधी प्रकरण पर, कार्यपरिषद् अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो0 आनन्द मिश्र ने अपने हृदय के उदगार व्यक्त करते हुये कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक उत्कट राजनीतिज्ञ व कुशल वक्ता होने के साथ-साथ आमजन की आकांक्षाओं, राजनीति में शुचिता के प्रतीक हैं व ग्वालियर की माटी के सपूत हैं तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी को डी.लिट. की मानद उपाधि से विभुषित कर विश्वविद्यालय स्वयं को गौरान्वित महसूस करेगा। अतः वह प्रस्तावित करते हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को विश्वविद्यालय कार्यक्रम में आमंत्रित कर डी.लिट. की मानद उपाधि से विभुषित किया जाये। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान्य किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि श्री वाजपेयी जी व्यस्तता अथवा किसी अन्य कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित न हो सकें तो विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में श्री वाजपेयी जी के वर्तमान निवास पर जाकर उन्हें मानद उपाधि से विभुषित करे।

   इस क्रम में यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्रिकेट के इतिहास पुरुष श्री सचिन तेन्दुलकर को भी क्रिकेट में उनके अनुपम योगदान एवं विशिष्ट उपलब्धियों को ध्यान में ररखते हुये डी.लिट. की मानद उपाधि से विभुषित किया जावे।

3. विभिन्न महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का नाम प्रस्तावित करने के लिये डॉ0 राजीव जैन की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

4. राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला में दिनांक 2 से 5 सितम्बर 2010 तक भारत में उपनिवेशवाद एवं राष्ट्रवाद और भारत में प्रान्तीय राजनीति विषय पर सेमीनार आयोजित करने हेतु रुपये 2 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

-----2

5. विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यो हेतु शुल्क सेन्ट्रल बैंक के माध्यम से चालान के द्वारा जमा करने की व्यवस्था मान्य की गयी। इस सुविधा से छात्र अपने निकटतम कस्बा/शहर में स्थित बैंक में शुल्क जमा कर सकेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से छात्रों को शुल्क जमा करने के लिये विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. परीक्षा विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने के लिये 20 कम्प्यूटर क्रय करने के लिये रुपये 6 लाख 68 हजार की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

7. विश्वविद्यालय के विधि संस्थान हेतु 07 शैक्षणिक पदों के सृजन की सूचना ग्रहण की गयी।

8. सत्र् 2010-11 के लिये शासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रकाश में संबंधित महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्रकरणों पर विचार किया जायेगा।

9. कार्यपरिषद् सदस्य श्री अशोक शर्मा के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि जो महाविद्यालय बिना सम्बद्धता प्राप्त किये कार्यक्रम संचालित कर रहें हैं उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे तथा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सीट संख्या निर्धारित की जावे।

जनसम्पर्क अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सम्पादक स्थानीय कार्यालय दैनिक समाचार पत्र की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।